

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 05.06.2025

“थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा नौ माह से फरार गृह चोरी का अभियुक्त अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04/05.06.2025 की रात्रि मुखबिर की सूचना पर ग्राम बट्टीपुर हदीरा की तरफ जाने वाले खडण्डे पर ग्राम सुनारा खुर्द को जाने वाले रास्ते से शातिर चोर पवन उर्फ पन्ना पुत्र प्रेमपाल नि0 ग्राम सुनारा बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाह0पुर उम्र करीब 19 वर्ष को एक अदद तमंचा 12 बोर व दो कारतूस 12 बोर तथा मु0अ0सं0 568/24 धारा 331(4)/305(A) BNS में चोरी हुए माल को बेचने के बाद बचे 420 रुपये बरामद हुए जिसे उसके जुर्म धारा 9/25 A ACT व मु0अ0सं0 568/24 धारा 331(4)/305(A) BNS से अवगत कराते हुए समय 00.52 बजे दिनांक 05.06.25 को हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही के पश्चात मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. पवन उर्फ पन्ना पुत्र प्रेमपाल नि0 ग्राम सुनारा बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाह0पुर उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग: -

1. मु0अ0सं0 441/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर ।

अपराधिक इतिहास अभियोग: -

1. मु0अ0सं0 441/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर ।
2. मु0अ0सं0 568/24 धारा 331(4)/305(A)/317(2) BNS थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर ।
3. मु0अ0सं0 0783/2022 धारा 379, 411 भादवि थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर ।

बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद तमंचा 12 बोर नाजायज
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. एक अदद मिस कारतूस 12 बोर
4. मु0अ0सं0 568/24 धारा 331(4)/305(A)/317(2) BNS से सम्बन्धित 420 रुपये

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त पवन उर्फ पन्ना उपरोक्त ने अपने जुर्म की माफी मांगते हुए बताया कि मैंने अब से करीब 09 महीने पूर्व अपने गाँव के आशाराम पुत्र परमईलाल के घर में रात्रि के समय चोरी की थी। चोरी में झाले, खगुरिया व सूट चुराया था। जब जब मुझे रुपयों की जरूरत हुई तब तब मैंने चलते फिरते व्यक्ति को झाले 6000 रुपये, खगुरिया 1500 रुपये में बेच दिये व सूट बिक नहीं रहा था तो वह मैंने एक मांगने वाली महिला को दे दिया। कुल 7500 रुपये में खर्चा करने के बाद मेरे पास 420 रुपये बचे थे जोकि दरोगा जी ने मुझसे बीती रात बरामद कर लिये हैं। अभियुक्त से पूछा गया कि उसने चोरी किया हुआ सामान कहा बेचा है। तो अभियुक्त ने सोचकर बताया कि मैं मजदूरी करने के लिए नेपाल जाता रहता है। वही नेपाल में चलते फिरते आदमी को अपनी मजबूरी बताकर बेच दिया था। अभियुक्त से पूछा गया कि नेपाल में कितने

दिन तक रहा । मैं निश्चित दिनो तक नहीं रहा मैं नेपाल मे आता जाता रहता था तथा तमंचा मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ जिसे आज पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री गौरव सोलंकी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
2. हे0का0 401 सुनील कुमार, थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
3. का0 1753 चन्द्रवीर सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
4. का0 2121 अंकित कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर